संख्या 13/2/2012/का-1-2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2012

विषय :– अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

कृपया अधिकारियों/कर्मचारियों के बिरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या 611/का-1-2005, दिनांक 19-07-2005 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2–उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 19-07-2005 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा बरती गयी अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसके विरुद्ध जाँचोपरान्त अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही की जायेगी और यदि अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही में यह पाया जाता है कि कर्मचारी/अधिकारी की कोई आपराधिक भूमिका रही है तथा उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर विचार किया जाता है अन्यथा विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी की आख्या के उपरान्त वे दण्ड दिये जाते हैं जो सम्बन्धित नियमावली में परिभाषित हैं। अतः विभागीय कार्यवाही के समापन के उपरान्त अनियमितायें यदि इस प्रकार की हैं कि कोई आपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टया सृजित प्रतीत होता है तो उस दशा में नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में न्याय विभाग का मत प्राप्त करके अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्यवाही करें।

3–शासन के संज्ञान में लाया गया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में विभागों (विशेषकर स्टाम्प एवं निबंधन विभाग) द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 19-07-2005 में दी गयी व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतएव, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने सम्बन्धी प्रत्येक मामले में उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19-07-2005 में वर्णित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या 13(2)2012(1)/का-1-2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2–पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

5–महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संलग्नकः–यथोपरि।

आज्ञा से,
एच0एल0 गुप्ता,
विशेष सचिव।

संख्या 611/का-1-2005

प्रेषक,

नीरा यादव,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2005।

विषय :– अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न प्रकरणों में विभागीय अनियमितताएं प्रकाश में आने के उपरान्त विभागीय स्तर पर कार्यवाही किये जाने के पूर्व ही अभियोजन के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है और इससे कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण प्रारम्भ हो जाता है और अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही प्रचलित करना सम्भव नहीं हो पाता है। तत्पश्चात् प्रकरण में विचारण होने तक, वर्षों तक कर्मचारी/अधिकारी को निलम्बित रखना पड़ता है और दोषमुक्त हो जाने की दशा में अनुच्छेद–311 में उसे पुनः सेवा में ले लिया जाता है। इससे शासकीय हित प्रभावित होते हैं और वित्तीय हानि होती है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा बरती कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसके विरुद्ध जांचोपरान्त अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही की जायेगी और यदि अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही में यह पाया जाता है कि कर्मचारी/अधिकारी की कोई आपराधिक भूमिका रही है तथा उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर विचार किया जाता है अन्यथा विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी की आख्या के उपरान्त वे दण्ड दिये जाते हैं जो सम्बन्धित नियमावली में परिभाषित हैं।

अतः अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही के समापन के उपरान्त अनियमितताएं यदि इस प्रकार की हैं कि कोई आपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टया सृजित प्रतीत होता है तो उस दशा में नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में न्याय विभाग का मत प्राप्त करके अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्यवाही करें।

भवदीया,
नीरा यादव,
मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 14 सा0 नियुक्ति–2012–(503)–2,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।